प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में प्रार्थी द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण की दिनांक को ही अपीलाधीन आदेश की प्रति प्रस्तुत कर दी गई थी। जिसका अंकन सहवन से फर्द अहकाम में नहीं होने के कारण प्रार्थी की अपील अपीलाधीन आदेश की नकल के अभाव में खारिज की गई।

न्यायालय हाजा की मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण की दिनांक अर्थात 05–11–2012 को ही अपीलाधीन आदेश की प्रति फार्म नम्बर 3 के साथ प्रस्तुत कर दी गई थी। जिस पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता की उपस्थिति अंकित करते हुए मांर्किग किया जाना स्पष्ट रूप से साबित है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलाधीन आदेश की प्रति मूल आदेश की प्रति है अथवा नहीं? यह तथ्य अदालत मातहत की पत्रावली उपलब्ध होने पर तय होना है। अभिभाषक अप्रार्थी यह तो कथन किया है कि प्रस्तुत प्रमाणित प्रति मूल आदेश की ना होकर आदेश की पालना हेतु तहसीलदार को जारी तहरीर की प्रतिलिपि है। लेकिन अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में स्वमेव तथाकथित मूल आदेश की प्रति न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है।

लिहाजा ऐसी स्थिति में प्रार्थी की रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। न्यायालय हाजा की मूल अपील पुनः दर्ज की जाकर दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।